न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 34/2014 (225 आरटीए) कालूसिंह वगै. बनाम अमरसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2014/00068)

1 कालूसिंह उर्फ रूगनाथसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह राजपूत,
2 प्रहलादसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह राजपूत, जाति राजपूत,
3 गोपीसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह राजपूत, जाति राजपूत,
4 चतरसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह राजपूत, जाति राजपूत,
5 ओमसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह राजपूत, जाति राजपूत,
निवासीगण ग्राम बिनाइकिया, तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र स्व. श्री भारतसिंह जाति राजपूत,
1/1 उछवकंवर पत्नी स्व. श्री अमरसिंह जाति राजपूत,
1/2 डंगरसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह जाति राजपूत,
1/3 प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह जाति राजपूत,
1/4 भीमसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिह जाति राजपूत,
1/5 कानसिंह पुत्र स्व. श्री अमरसिंह जाति राजपूत
निवसीगण ग्राम बिनायकिया तहसील व जिला जोधपुर।
1/6 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री अमरसिंह पत्नी श्री श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी गोयलों ढाणी, सूरसागर, जोधपुर।
2 लूणसिंह पुत्र स्व. श्री गंभीरसिंह जाति राजपूत,
3 अंतकंवर पत्नी स्व. श्री मदनसिह जाति राजपूत,
4 चक्रवर्तीसिंह पत्र स्व. श्री मदनसिंह जाति राजपूत,
5 केशरसिह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह जाति राजपूत
क्रम सं. 04 व 05 नाबालिग कुदरती माला वली मांता अंतरंकंवर पत्नी स्व. श्री मदनसिंह जाति राजपूत, निवासीगण बिनायकिया तहसील व जिला जोधपुर।
6 लीलादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल जाति माली निवसी मोती चौक जोधपुर।
7 राजस्थान सरकार भमिधारी जरिए तहसीलदार, जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 17.02.2014 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 04/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिह सोलंकी।

28/5
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2 रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।

3 रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 04/2014 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 04/2014 पेश कर कथन किया कि अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकास्मा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट के विरुद्ध पेश किया तथा उक्त वाद पत्र के साथ ही उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 के अंतर्गत पेश किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा व कांउटर क्लेम रेस्पो. के विरुद्ध पेश किया गया तथ उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का के जवाब के साथ अपीलांट्स द्वारा काउंटर प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

इस प्रकरण में प्रार्थीगण–रेस्पो. सं. 1से6 ने आधे अधूरे असत्य कथन किए कि राजस्व ग्राम बिनाइकिया के खसरा नं. 39 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 43 रकबा 04 बीघा, खसरा नं. 51 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 52 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा, व खसरा नं.52 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं. 113 र कबा 24 बीघा 16 बिस्वा कुल 89 बीघा 16 बिस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि प्रारंभ से ही स्व. भारतसिंह के छः पुत्रों क्रमशः श्री नरपतसिंह, श्री गंभीरसिंह, श्री अमरसिंह, श्री विशनसिंह एवं श्री मोतीसिंह के सह खातेदारी की रही है जिसमें सभी छः पुत्रों का बराबर–बराबर 1/6–1/6 हिस्सा है। उपरोक्त सभी मूल खातेदारों में से सिवाय अमरसिंह के अन्य सहखातेदारों का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान इस वाद में पक्षकार हैं। प्रार्थीगण सं. 2 से 5 स्व. गंभीरसिंह के वारिसान हैं। प्रतिवादी सं. 15 मोतीसिंह की वारिस है जिसमें अपने 1/6 अविभाजित हिस्से में से खसरा नंबर 51, 52 व 113 में अपना संपूर्ण अविभाजित हिस्सा प्रार्थी संख्या 6 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख हस्तांतरित कर दिया इस प्रकार प्रार्थी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 15 का उपरोक्त भूमि में 1/6 संयुक्त हिस्सा है। स्व. नरपतसिंह के वारिसान प्रतिवादी–अप्रार्थी संख्या 1 से 5 हैं, स्व. गुलाबसिंह के वारिसान अपीलांट्स प्रतिवादी–अप्रार्थी संख्या 6 से 10 हैं, इसी प्रकार स्व. विशनसिंह के

वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 से 14 हैं एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्थिति यह बताई है कि प्रार्थी सं. 1 का 1/6 भाग, प्रार्थी सं. 2 लगायत पांच का 1/6 भाग, प्रार्थी सं. 6 व प्रतिवादी सं. 15 का 1/6 भाग, प्रतिवादी–अपीलांट्स छ से 10 का 1/6 भाग के संयुक्त खातेदार हैं। उपरोक्त के साथ में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई कि निर्माण कार्य करने से रोका जाए अन्यथा अप्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का अपीलार्थीगण ने जवाब दावा के साथ में काउंटर क्लेम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम पेश किया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम व काउंटर प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि स्व. भारतसिंह के छः पुत्रों क्रमशः श्री नरपतसिंह, श्री गंभीरसिंह, श्री मोतीसिंह, श्री गुलाबसिंह, श्री विशनसिंह, व श्री अमरसिंह जिनमें से श्री नरपतसिंह फौज में नायक हवलदार थे इसी प्रकार श्री मोतीसिंह आर्मी में सर्विस करते थे तथा गुलाबसिंह एयरफोर्स में सिविलियन लस्कर थे एवं श्री विशनसिंह आर्मी में एन.सी. थे। स्व. श्री भारतसिंह के जीवनकाल में ही उनका संयुक्त परिवार होने के कारण से उनके छः पुत्रों द्वारा संयुक्त रूप एवं संयुक्त परिवार की आय से जगह–जगह कृषि भूमि व भू–खण्डों को खरीद किया गया था। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 39, 43 व 113 को सयुक्त रूप से ही स्व. श्री भारतसिंह के छः पुत्रों ने ही खरीद किया था एवं इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि खेत खसरा नं. 51 व 52 को केवल श्री गुलाबसिंह अपीलांट्स के पिता ने अपनी स्व. अर्जित आय से पांचाराम कुम्हार वाके बिनाइकिया से खरीद किया था। प्रार्थीगण रेस्पो. द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से खरीदशुदा अन्य कृषि भूमियों व भूखण्डों को छिपाया गया है। अन्य कृषि भूमि वाके ग्राम बिनाईकिया के खसरा नंबर 29 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 30 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि को स्व. भारतसिंह के छः पुत्रों द्वारा संयुक्त आय से अमरसिंह के परिवार के नाम यानि श्रीमती उच्छवकंवर के नाम करवाई थी जो कि संयुक्त हिंदू परिवार की आय से खरीद किया गया था क्योंकि उस समय श्री नरपतसिंह, श्री मोतीसिंह, श्री गुलाबसिहं व श्री विशनसिंह सरकारी नौकरी से बाहर थे एवं इसी प्रकार वाके ग्राम बिनाइकिया के खसरा नं. 130 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं.131 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा जिसको संयुक्त परिवार के होते हुए संयुक्त परिवार की आय से खरीदा गया था उस समय श्री नरपतसिंह, श्री मोतीसिंह, श्री गुलाबसिंह व श्री विशनसिंह सरकारी नौकरी से बाहर थे जिस कारण से सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से अपनी आय भेजकर श्री अमरसिंह के नाम करवाई थी इसी प्रकार एक भूखण्ड सामलाती रूप से घड़ियों की ढाणी में आया हुआ है। भारतसिंह के छः पुत्रों के जीवनकाल में

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

ही खसरा नं. 43 के पास में ही नगर सुधार न्यास की कृषि भूमि रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर संयुक्त परिवार के रहते हुए मौके पर भारतसिंह के छः पुत्रों का कब्जा काश्त है एवं भारतसिंह के छः पुत्रों के जीवन काल में ही खसरा नं. 39 के पास में ही नगर सुधार न्यास की कृषि भूमि खसरा नं. 647 रकबा 17 बीघा भूमि पर संयुक्त परिवार के रहते हुए मौके पर भारतसिंह के छः पुत्रों का कब्जा काश्त है। स्व. श्री भारतसिंह के छः पुत्रों द्वारा अपने जीवन काल में ही काउंटर प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमियों का पारिवारिक बंटवारा कर दिया गया था। भारतसिंह के छः पुत्रों के स्वर्गवास के पश्चात से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हक व हिस्से में पिछले काफी वर्षों से यानि वक्त बंटवारा से ही अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक ले रहे हैं अपीलांट्स द्वारा अपने काउंटर क्लेम व कांउटर प्रार्थना पत्र के साथ में परिशिष्ट–क में पारिवारिक बंटवारे को दर्शाया गया है जिसको काउंटर क्लेम का अंग समझा जावे। सभी पक्षकारान ने उक्त पारिवारिक बंटवारे को एक्ट अपोन उसी समय कर लिया था एवं उक्त बंटवार के अनुसार उसी समय मौके पर काबिज हुए हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, उक्त बंटवारा को आज तक किसी भी पक्ष ने चुनौती नहीं दी है उक्त मौखिक बंटवारा अंतिम हो चुका है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम व काउंटर प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं किया एवं प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट्स के काउंटर प्रार्थनापत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना पत्र को अपने आदेश में संक्षिप्त रूप से अंकित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2014 के द्वारा कवल वाद व प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियों के बाबत ही हस्तांतरण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिाति बनाए रखने का आदेश पारित किया है परंतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम में वर्णित भूमियों के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिह सोलंकी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 39 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 43 रकबा 4 बीघा, खसरा नं. 51 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 52 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

26 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं. 113 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 89 बीघा 16 बिस्वा का ही उल्लेख किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा संयुक्त कब्जाशुदा कृषि भूमियां जिसको प्रार्थीगण ने अपने वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में जान बूझकर तथ्यों को छिपाया गया है। प्रार्थीगण ने जो भूमियां छिपाई गई हैं, उक्त भूमियों के बाबत अपीलांट द्वारा अपने काउंटर क्लेम व कांउटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनमें वर्णित कृषि भूमियां ग्राम बिनाइकिया के खसरा नं. 29 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 30 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि एवं बाके ग्राम बिनाइकिया के खसरा नं. 36 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा इसके अलावा संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से शामिलाती रूप से अन्य कृषि वाके ग्राम बिनाइकिया की कृषि भूमि खसरा नं. 130 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 131 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा आई हुई स्थित है के बाबत श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट माना गया है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स विवादित भूमि के संबंध में दोनों चाहते हैं कि विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, चूंकि राजस्व मूल वाद बंटवारा का अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद का विधिवत रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक विवादित भूमि खसरा नं. 39, 43, 51, 52 व 113 ही अंकित किया गया है जबकि इसके अलावा विवादित भूमि यानी वादग्रस्त अन्य खसरे ग्राम बिनाइकिया के खसरा नं. 29, 30, 36, 130 व 131 भी है जिसके संबंध में भी अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जानी चाहिए थी जिसको पीछे छोड़कर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। जिस कारण अपीलांट द्वारा अपील पेश कर काउंटर क्लेम व कांउटर प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए विवादित खसरा नं. 29, 30, 36, 130 व 131 का भी बेचान हस्तांतरण नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखी जावे जबकि उक्त आदेश पारित होने के बाद से ही प्रार्थीगण द्वारा काउंटर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की भूमि को आगे बेचान करने रद्दोबदल करने की ऐलानियां धमकी दी जा रही हैं। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति अपीलांट व रेस्पोडेंट्स सभी चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं काउंटर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में अस्थाई निषेण्धाज्ञा जारी करने में रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई आपत्ति नहीं हैं।

6 रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में अपीलांट्स के अधिवक्ता व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र व काउंटर प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त खसरा नंबरान के संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को सहमति के अनुसार संशोधित कर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2014 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम बिनाइकिया तहसील जोधपुर के खसरा नं. 39 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 43 रकबा 4 बीघा, खसरा नं. 51 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 52 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 113 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 29 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 30 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 36 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 130 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 131 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा भूमि का प्रार्थीगण–रेस्पोडेंट्स एवं अप्रार्थीगण–अपीलांट्स यानी उभयपक्षकराना किसी प्रकार से बेचान, हस्तांतरण नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर